### उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सन्दर्भ संख्या 1689



A-1/4, लखनपुर कानपुर — 208024 दूरभाष : 2582851—53 (PBX) ई मेल : fcupsidc@gmail.c

यूपीसीडा काम्पलेक्स

दूरभाष : 2582851—53 (PBX) ई,मेल : fcupsidc@gmail.com वेबसाईट : onlineupsida.co.in

चेयरमैन, सेन्ट्रल इण्डिया रीजनल काउन्सिल, ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड एकाउन्टेट ऑफ इण्डिया, लखनपुर, कानपुर।

/यूपीसीडा/लेखा/

दिनांक 24/7/25

विषयः उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक नीति—2018 एवं उ०प्र० वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक नीति—2022 अन्तर्गत निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अन्तर्गत आवेदन पत्रों का मूल्यांकन/कार्यों का सत्यापन एवं भुगतान की कार्यवाही एवं उ०प्र० औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति—2022 के अन्तर्गत स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास/बौद्धिक सम्पदा/उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यक मूल्यांकन।

महोदय,

कृपया पत्र संख्या 1499/यूपीसीडा/लेखा/दिनांक 14.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उपरोक्त कार्य हेतु सीए फर्मों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु आपसे अपने कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु आपके कार्यालय द्वारा उक्त पर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी, जिसके कारण अनुभवी एवं योग्य चार्टेड एकाउन्टेन्ट को सूचीबद्ध किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

उपरोक्त योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है एवं यूपीसीडा को नोडल

एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है।

उपरोक्त के कम में आपसे पुनः अनुरोध है कि अपनी वेबसाईट पर उपरोक्त सूचना आज ही अपलोड करने का कष्ट करें, ताकि राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं का कियान्वयन समयान्तर्गत एवं पारदर्शी रूप से किया जा सके।

उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक नीति—2018 शासनादेश संख्या 2791/77—6—2018—एल0सी0—4/18 लखनऊ दिनांक 06.07.2018 एवं उ०प्र० वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक नीति—2022 के कम में उ०प्र० शासन द्वारा शासनादेश संख्या 20/2023/1048/77—6—2023—4(एम)/2022 दिनांक 13.04.2023 द्वारा कियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है।

उ०प्र० औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति—2022 के अन्तर्गत स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास इकाई / (आर एण्ड टी यूनिट / फर्म) और बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना हेतु प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम के क्रियान्वयन हेतु दिशा—निर्देश के क्रम में शासनादेश संख्या 34 / 2023 / 1696 / 77—6—23—2(एम) / 2022 टीसी—2 दिनांक 13.06.2023 निर्गत किया गया है।

उक्त शासनादेश के कम में अनुभवी चार्टेड एकाउन्टेन्ट का इम्पैनलमेन्ट किया जाना है। इम्पैनलमेन्ट (Empanelment) हेतु प्राधिकरण के लेखानुभाग मुख्यालय, कानपुर में दिनांक 31.07.2025 को सांय 06:00 बजे तक समस्त आवेदन पत्र (प्रपत्रों सहित) स्वीकार किये जायेंगे।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना हेतु चार्टेड एकाउन्टेन्ट चयन सम्बन्धी सूचना अपने सूचना पट/इंस्टीटयूट की वेबसाईट पर शासनादेश सहित आज ही अपलोड कराने का कष्ट करें।

(दिनेश कुमार) वित्त नियंत्रक

भवदीय.

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।



# UP STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY KANPUR

#### Proforma of application for Empanelment

SI. No	. Particulars	Details
1	Name of Firm	
2	Name of Partners	
3	Name and address of the person legally authorized to sign the agreement in case of partnership firm.	
4	Permanent Address:	
5	Telephone and mobileNo.(Head and branch Office)	
6	Email id:- Website:-	
7	Name and mailing address of partners with their mobile nos.	
8	PAN No.	
9	Registration Certificate of GST	
10	Chartered Accountant firm should be registered with Institute of Chartered Accountants of India at least 10 years or more. Registration certificate from ICAI should be submitted.	
11	CA firm should have One fellow Chartered Accountant who should have an experience of similar work as mentioned in scope of work. Membership certificate from ICAI should be submitted.	
12	CA Firm should have cumulative turnover of Rs. 30.00 Lacs in last two financial year i.e.FY 2023-24 & 2024-25. Copy of ITR Should be submitted	
13	CA firm should have an experience of working in UPSIDA or in similar organization like development authority /municipal corporation/ Central government/State Government/State Government Undertaking. Copy of work order should be submitted.	
14	CA firm should have a well established office in kanpur before the awarded of agreement so that services of CA firm can be obtained as and when required in the interest of Authority. Before signing of the agreement, it is mandatory for successful oidder to open a well established office in Kanpur Nagar.	
15   I	Bidder is not blacklisted in any form by ICAI/ Comptroller and Auditor General of India or any other Competent Authority. This should be submitted on notarized affidavit on Rs.10/- non adicial stamp paper.	
16 2	CA firm have any experince of same work (Logistic Policy of- 022 and employment generation policy, 2022) copy of work order should be submitted with application. (If any)	

Note: All the encloser of empanelment document must be numbered and signed with stamp.

# UP STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY, KANPUR

Proposal for empanelment of charted accountant firm

## Annexure: The detail of the practicing chartered accountants on the rolls.

Sl. No.	Name and Address	Professional Registration Number	Length of Experience (In Years)
A			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## Scope of Work

- Valuation of proposal/certification of work/recommendation of acceptance as per Govt. order issued by Govt. of U.P.
- 2. उ०प्र० वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक नीति—2018 एवं उ०प्र० वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक नीति—2022 के कियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश एवं मानक संचालन प्रकिया (sop) के सम्बन्ध में निर्गत किये गये शासनादेश संख्या 20/2023/1048/77—6—2023—4(एम)/2022 दिनांक 13.04.2023
- 3. उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति—2022 के अन्तर्गत स्वतंत्र (Stand-alone) अनुसंधान एवं विकास इकाई/फर्म (आर एण्ड डी यूनिट /फर्म) और बौद्धिक सम्पदा अधिकार (IPR) एवं उत्कृष्टता केन्द्र (Centres of Excellence) की स्थापना हेतु प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम के कियान्वयन हेतु दिशा—निर्देश के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 34/2023/1696/77-6—23—2(एम)/2022टीसी—2 दिनांक 13.06.2023
- 4. उपरोक्त दोनो शासनादेश के अन्तर्गत प्राधिकरण को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव पर विश्लेषण के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की जानी है।
- 5. शासनादेश की परिधि में प्रस्ताव का मूल्यांकन/सत्यापन/स्वीकृति/भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही पर मन्तव्य प्रस्तुत किया जाना है।

### UP State Industrial Development Authority, Kanpur

#### **Eligibility Criteria for Empanelment**

- Chartered Accountant firm should be partnership firm registered with Institute of Chartered Accountants Of India at least 10 years or more registration certificate from ICAI should be submitted.
- CA Firm should have one fellow Chartered Accountant, who should have an experience of similar works as mentioned in scope of work. Membership certificate from ICAI should be submitted.
- 3. CA Firm should have cumulative turnover Up to Rs. 30.00 lakh in last two financial years i.e. FY 2023-24 and 2024-25. Copy of ITR should be submitted.
- 4. CA Firm should have an experience of working in UPSIDA or in similar organizations like development authority/municipal corporation/Central Government/State Government /State Government undertaking. Copy of work order should be submitted with application.
- 5. CA firm should have a well established office in Kanpur before the award of agreement so that services of CA firm can be obtained as and when required in the interest of Authority. Before signing of the agreement, it is mandatory for successful bidder to open a well established office/Branch office in Kanpur.
- The scope of work can be changed/revised as per the requirement of the Authority/State Government.
- 7. The authority reserved all the rights to cancel the work order in the case of any delay/unsatisfactory work by the CA firms.
- 8. PAN number is mandatory, should be submitted with the proposal.